भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 323*

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषयः भंडारण सुविधाएं

323. श्री एस. आर. पार्थिबनः

श्री देवुसिंह चौहानः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में भंडारण और शीतागार सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कुल उपलब्ध क्षमता कितनी है और ऐसी सुविधाओं की कितनी कमी है तथा सरकारी निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में शीतागारों इकाइयों की क्षेत्र एवं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को इन सुविधाओं की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो विगत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्यों को संस्वीकृत, आवंटित तथा संवितरित राशि का वर्ष एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देशभर में शीतागारों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने किसानों द्वारा अपने उत्पाद को औने-पौने दाम पर बेचे जाने को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा का निर्माण करने हेतु कोई योजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत स्थापित किये गए गोदामों की संख्या और सृजित की गई कुल क्षमता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

'भंडारण सुविधाएं' के संबंध में दिनांक 16 जुलाई, 2019 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 323 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

(क) एवं (ख): नैबकॉन्स द्वारा अखिल भारतीय शीत श्रृंखला अवसंरचना क्षमता (एआईसीआईसी-2015) संबंधी अध्ययन के अनुसार यह सूचित किया गया था कि वर्ष 2014 तक देश में लगभग 35 मिलियन टन की आवश्यकता की तुलना में 32 मिलियन टन शीत भांडागार क्षमता थी।

राज्यों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार देश में कुल 8038 भांडागार है जिनकी क्षमता 36.77 मिलियन टन है। इसका राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैसर्स हंसा रिसर्च ग्रुप द्वारा दिसंबर, 2013 के दौरान किए गए आधार लाईन सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि 92 प्रतिशत शीत भांडागार का स्वामित्व और प्रचालन निजी क्षेत्र के पास है तथा 3 प्रतिशत का स्वामित्व सहकारिताओं और शेष 5 प्रतिशत का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारतीय खादय निगम तथा राज्य एजेंसियों के माध्यम से खरीद के पश्चात खादयान्नों के भंडारण का कार्य करता है। कुल 741.41 एलएमटी (1 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार) स्टॉक की तुलना में भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम तथा राज्य एजेंसियों के पास (स्वामित्व वाली एवं किराए की क्षमता) 862.45 एलएमटी क्षमता (31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार) है जिसमें 739.76 एलएमटी कवर्ड गोदाम हैं तथा 122.69 एलएमटी कवर गोदाम तथा प्लीन्थ भंडारण क्षमता है।

इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय पूल के खादयान्नों के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

(ग) एवं (घ) : सरकार, देश में शीत भंडागारों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन देने के वास्ते निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है:

(i) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच):

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एमआईडीएच का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत शीत भांडागार अवसंरचना की स्थापना सहित उत्पादन से लेकर फसल कटाई

पश्चात प्रबंधन तक बागवानी विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह घटक वाणिज्यिक वेंचर के माध्यम से मांग/ उद्यमी संचालित है जिसके लिए सरकारी सहायता बैक इंडेड लिंक्ड ऋण सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत की 35 प्रतिशत और पर्वतीय तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत दर से प्रदान की जाती है। पिछले 2 वर्षों के दौरान से एमआईडीएच के तहत (मार्च, 2019 तक) 1.75 मिलियन टन क्षमता वाले 380 शीत भांडागार का अनुमोदन 623.83 करोड़ रूपये की सहायता के साथ किया गया है। पिछले 2 वर्षों के दौरान एमआईडीएच के तहत अनुमोदित भंडागारों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार विवरण **अनुबंध - II** पर दिया गया है। एमआईडीएच स्कीम का समग्र आवंटन जिसमें वर्तमान वर्ष के लिए शीत भंडागार गतिविधियों संबंधी आवंटन शामिल है, उसका विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है। इस स्कीम के तहत शीत भंडारण गतिविधियों का उपयोग संबंधित राज्य में इस गतिविधि की मांग के अनुसार किया जाता है।

(ii) **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना :**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना(अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आमेलित) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं सृजित की जा सकें। इस स्कीम के तहत एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना के साथ-साथ एक घटक के रूप में शीत भंडारगृह के निर्माण के लिए सामान्य क्षेत्रों में 35 प्रतिशत की दर से तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों तथा द्वीप समूहों के लिए भंडारण एवं यातायात अवसंरचना के लिए 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रूपये है। पिछले 2 वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत 1273.37 करोड़ रूपये के साथ 3.52 लाख एमटी की क्षमता वाली 160 शीत श्रृंखला परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

पिछले 2 वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत अनुमोदित शीत श्रृंखला परियोजनाओं का वर्ष-वार एवं राज्य-वार विवरण **अनुबंध- IV** में दिया गया है।

(ङ) : सरकार, समेकित कृषिगत विपणन स्कीम (आईएसएएम) की एक उप-स्कीम अर्थात कृषि विपणन अवसंरचना स्कीम के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं को

बढ़ावा दे रही है। कृषि विपणन अवसंरचना स्कीम, एक बैक इंडेड पूंजीगत सहायता स्कीम है जिसके तहत पात्र लाभार्थी की श्रेणी तथा परियोजना के पूंजी लागत के आधार पर 25 प्रतिशत तथा 33.33 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस उप-स्कीम के तहत सहायता व्यक्तिगत, किसानों/ उत्पादकों के समूहों, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) आदि को प्रदान की जाती है। अभी तक पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 655.48 लाख एमटी की भंडारण क्षमता वाले कुल 38,964 भांडागार अवसंरचना परियोजनाओं(गोदामों) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह स्कीम मांग संचालित है और पिछले 2 वर्षों के दौरान एएमआई उप-स्कीम के भंडारण घटक के तहत 32.89 लाख एमटी भंडारण क्षमता वाली कुल 1699 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता दी गई है। इसका राज्यवार विवरण **अनुबंध- V** में दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. 323

अनुबंध-I

31.03.2019 तक कोल्ड स्टोरेज का राज्य-वार वितरण

राज्य का नाम	**संख्या**	**क्षमता (एमटी)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	3	810
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	458	1867238
अरुणाचल प्रदेश	2	6000
असम	38	168096
बिहार	309	1437767
चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
छत्तीसगढ़	99	487262
दिल्ली	97	129857
गोवा	29	7705
गुजरात	956	3790311
हरियाणा	356	819625
हिमाचल प्रदेश	71	135221
जम्मू और कश्मीर	56	188115
झारखंड	58	236680
कर्नाटक	212	615053
केरल	199	81705
लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
मध्य प्रदेश	302	1287079
महाराष्ट्र	604	985142
मणिपुर	3	7100
मेघालय	4	8200
मिजोरम	3	3971
नागालैंड	4	7350
ओडिशा	177	566321
पांडिचेरी (यूटी)	3	85
पंजाब	688	2282626
राजस्थान	176	596014
सिक्किम	2	2100
तमिलनाडु	174	350518
त्रिपुरा	14	46354
उत्तर प्रदेश	2376	14545618
उत्तराखंड	47	162821
पश्चिम बंगाल	510	5935416
कुल	**8038**	**36770637**

लो.स.ता.प्र.सं. 323

अनुबंध-II

पिछले दो वर्षों (मार्च, 2019) के दौरान एमआईडीएच के तहत अनुमोदित कोल्ड स्टोरेज के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

राज्य	2017 -18			2018 -19			कुल		
	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्षमता लाख एमटी में	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्षमता लाख एमटी में	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्षमता लाख एमटी में
आंध्र प्रदेश	2	284.00	0.15	2	192.00	0.17	4	476.00	0.32
बिहार	0	0.00	0	2	536.00	0.15	2	536.00	0.15
छत्तीसगढ़	0	0.00	0	4	796.00	0.25	4	796.00	0.25
गुजरात	116	17842.00	5.64	66	6840.00	2.77	182	24682.00	8.41
हरियाणा	9	1093.00	0.32	4	404.00	0.18	13	1497.00	0.5
हिमाचल प्रदेश	0	48.00	0	5	236.00	0.04	5	284.00	0.04
जम्मू और कश्मीर	14	12491.00	0.54	2	898.00	0.11	16	13389.00	0.65
झारखंड	3	761.00	0.18	1	186.00	0.05	4	947.00	0.23
कर्नाटक	5	514.00	0.19	2	237.00	0.06	7	751.00	0.25
मध्य प्रदेश	1	245.00	0.03	2	280.00	0.11	3	525.00	0.14
महाराष्ट्र	1	46.00	0.01	0	0.00	0	1	46.00	0.01
मणिपुर	4	699.00	0.24	3	555.00	0.22	7	1254.00	0.46
ओडिशा	2	20.00	0.01	0	0.00	0	2	20.00	0.01
पंजाब	12	1197.00	0.37	0	0.00	0	12	1197.00	0.37
राजस्थान	2	605.00	0.1	22	2924.00	1.13	24	3529.00	1.23
सिक्किम	1	120.00	0.06	7	684.00	0.29	8	804.00	0.35
तमिलनाडु	0	0.00	0.1	3	329.00	0.15	3	329.00	0.25
तेलंगाना	0	0.00	0	4	560.00	0.2	4	560.00	0.2
उत्तर प्रदेश	61	7762.00	2.73	17	2580.00	0.97	78	10342.00	3.7
उत्तराखंड	1	420.00	0.02	0	0.00	0	1	420.00	0.02
पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
कुल	**234**	**44145.00**	**10.69**	**146**	**18239.00**	**6.87**	**380**	**62384.00**	**17.56**

लो.स.ता.प्र.सं. 323

अनुबंध-III

समेकित बागवानी विकास मिशन - 2019-20 के दौरान निधियों का राज्यवार आवंटन

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	कुल आवंटन	(भारत सरकार का अंशदान)	राज्य का अंशदान
1	आंध्र प्रदेश	19000.00	11400.00	7600.00
2	बिहार	3750.00	2250.00	1500.00
3	छत्तीसगढ़	20500.00	12300.00	8200.00
4	गोवा	500.00	300.00	200.00
5	गुजरात	21166.67	12700.00	8466.67
6	हरियाणा	18333.33	11000.00	7333.33
7	झारखंड	5666.67	3400.00	2266.67
8	कर्नाटक	21666.67	13000.00	8666.67
9	केरल	6583.32	3949.99	2633.33
10	मध्य प्रदेश	6416.67	3850.00	2566.67
11	महाराष्ट्र	26333.33	15800.00	10533.33
12	ओडिशा	14833.33	8900.00	5933.33
13	पंजाब	11833.33	7100.00	4733.33
14	राजस्थान	15083.33	9050.00	6033.33
15	तमिलनाडु	16333.33	9800.00	6533.33
16	तेलंगाना	4666.67	2800.00	1866.67
17	उत्तर प्रदेश	11166.67	6700.00	4466.67
18	पश्चिम बंगाल	7333.33	4400.00	2933.33
19	दादर और नगर हवेली	50.00	50.00	0.00
20	दिल्ली	50.00	50.00	0.00
21	लक्षद्वीप	50.00	50.00	0.00
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	200.00	200.00	0.00
23	पुडुचेरी	300.00	300.00	0.00
24	दमन और दीव	150.00	150.00	0.00
25	अरुणाचल प्रदेश	2888.89	2600.00	288.89
26	असम	9333.33	8400.00	933.33
27	सिक्किम	2777.78	2500.00	277.78
28	मणिपुर	4111.11	3700.00	411.11
29	मेघालय	4666.67	4200.00	466.67
30	मिजोरम	3333.33	3000.00	333.33
31	नागालैंड	3555.56	3200.00	355.56
32	त्रिपुरा	4888.89	4400.00	488.89
33	जम्मू और कश्मीर	6111.11	5500.00	611.11
34	हिमाचल प्रदेश	6111.11	5500.00	611.11
35	उत्तराखंड	6111.11	5500.00	611.11
	कुल	**285855.54**	**187999.99**	**97855.55**

लो.स.ता.प्र.सं. 323

अनुबंध-IV

पिछले दो वर्षों को दौरान एमओएफपीआइ द्वारा मंजूर शीत श्रृंखला परियोजनाओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2017-18			2018-19			कुल		
		परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्षमता (लाख एमटी में)	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्षमता (लाख एमटी में)	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	क्षमता (लाख एमटी में)
1	आंध्र प्रदेश	4	3145	0.05	13	12504	0.22	**17**	**15649**	**0.27**
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	245	0.01				**1**	**245**	**0.01**
3	अरुणाचल प्रदेश	1	811	0.01				**1**	**811**	**0.01**
4	बिहार	1	758	0				**1**	**758**	**0**
5	गुजरात	8	7571	0.12	3	2802	0.03	**11**	**10373**	**0.15**
6	हरियाणा	4	3024	0.08	1	738	0	**5**	**3762**	**0.08**
7	हिमाचल प्रदेश	1	1000	0.06	4	3861	0.03	**5**	**4861**	**0.09**
8	जम्मू और कश्मीर	2	939	0				**2**	**939**	**0**
9	कर्नाटक	4	2214	0.06	6	5561	0.07	**10**	**7775**	**0.13**
10	केरल	2	1301	0.02	4	3947	0.23	**6**	**5248**	**0.25**
11	मध्य प्रदेश				2	1760	0.04	**2**	**1760**	**0.04**
12	महाराष्ट्र	21	14942	0.76	18	12831	0.18	**39**	**27773**	**0.94**
13	नागालैंड	1	810	0.01	1	967	0.01	**2**	**1777**	**0.02**
14	ओडिशा	1	1000	0.02				**1**	**1000**	**0.02**
15	पंजाब	6	3273	0.11	2	788	0.04	**8**	**4061**	**0.15**
16	राजस्थान	6	4419	0.27				**6**	**4419**	**0.27**
17	तमिलनाडु	5	4112	0.21	3	1274	0	**8**	**5386**	**0.21**
18	तेलंगाना	3	2233	0.12	3	2788	0	**6**	**5021**	**0.12**
19	उत्तर प्रदेश	10	8643	0.33	7	5968	0.09	**17**	**14611**	**0.42**
20	उत्तराखंड	5	4598.15	0.23	4	3802	0.05	**9**	**8400.15**	**0.28**
21	पश्चिम बंगाल	1	827	0.01	2	1881	0.05	**3**	**2708**	**0.06**
कुल		**87**	**65865.15**	**2.48**	**73**	**61472**	**1.04**	**160**	**127337.2**	**3.52**

लो.स.ता.प्र.सं. 323

अनुबंध-V

पिछले दो वर्षों के दौरान एएमआई उप-योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त राज्य-वार परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	2017 – 18		2018 – 19		कुल	
		परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (एमटी में)	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (एमटी में)	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (एमटी में)
1	आंध्र प्रदेश	12	98965	12	87803	24	186768
2	असम	17	109134	0	0	17	109134
3	बिहार	0	0	10	0	10	0
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	1092	543112	0	0	1092	543112
6	हरियाणा	26	341606	0	0	26	341606
7	हिमाचल प्रदेश	3	670	0	0	3	670
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	1	18383	0	0	1	18383
10	कर्नाटक	64	39617	0	0	64	39617
11	मध्य प्रदेश	305	1491850	0	0	305	1491850
12	महाराष्ट्र	32	65717	0	0	32	65717
13	ओडिशा	11	37051	0	0	11	37051
14	पंजाब	0	0	0	0	0	0
15	राजस्थान	35	75928	6	6340	41	82268
16	तमिलनाडु	29	73812	5	93878	34	167690
17	त्रिपुरा	1	2750	0	0	1	2750
18	तेलंगाना	4	62973	34	139312	38	202285
	कुल	**1632**	**2961568**	**67**	**327333**	**1699**	**3288901**

****